

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 727 / 2014 / कोटा.

मैसर्स डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर,
महावीर नगर-1, झालावाड़ रोड़, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-द्वितीय, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स)-द्वितीय, वाणिज्यिक कर अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 08 / 03 / 2017


निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 97/वेट/12-13/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-द्वितीय, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 13.02.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण में विवाद का बिन्दु विधि से सम्बन्धित है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपंजीकृत काश्तकारों से अफीम का क्रय कर उस पर 14 प्रतिशत की दर से क्रय कर चुकाया गया था। उस माल को अपीलार्थी की राज्य के बाहर स्थित अन्य फैक्ट्रियों में स्थानान्तरित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(36)एफडी/टैक्स/2005-174 दिनांक 31.03.2006 के आलोक में राज्य में खरीदे गये माल को राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर करने पर 4 प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर की आई.टी.सी. का क्लेम दिये जाने का अनुरोध किया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील भी अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज की गई जिसमें यह निर्णीत किया गया कि आई.टी.सी. का क्लेम वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत किये गये प्रावधानों के अधीन ही प्राप्त योग्य होता है जिसमें मूल शर्त यह है कि व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से माल का क्रय किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा माल

लगातार.....2


8/3/17


08/03/17

का क्रय राज्य के किसी पंजीकृत व्यवहारी से नहीं किया गया है बल्कि अपंजीकृत व्यक्तियों (कृषकों) से किया गया है एवं उस पर क्रय कर का दायित्व होने से आई.टी.सी. का क्लेम अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत निर्णीत किया गया था।

3. अपीलार्थी के स्वयं के मामले में ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन नं० 94/2012 निर्णय दिनांक 08.12.2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर वर्ष 2006-07 के मामले में निर्णय किया जा चुका है जिसमें उक्त अपीलार्थी के इसी बिन्दु पर किये गये रिवीजन को खारिज करते हुए कर निर्धारण अधिकारी, अपीलीय अधिकारी एवं माननीय कर बोर्ड के आदेशों को यथावत रखते हुए आई.टी.सी. क्लेम को अस्वीकृत किया जाना विधि के अनुकूल माना गया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अपीलार्थी के मामले में दिये गये निर्णय के आलोक में अपील पर कोई बल नहीं दिया है।

5. उक्त प्रकरण में विवाद का बिन्दु मात्र यह है कि अपंजीकृत व्यवसायियों से माल का क्रय करने के पश्चात् उसके स्टॉक ट्रांसफर पर आई.टी.सी. का क्लेम अधिसूचना क्रमांक 2005-174 दिनांक 31.03.2006 के आलोक में देय होगा अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा यह तथ्य बताया गया है कि इस अधिसूचना में 4 प्रतिशत से अधिक की आई.टी.सी. का क्लेम दिये जाने का जो प्रावधान किया गया है वह आई.टी.सी. दिये जाने के लिये अधिनियम की धारा 18(4) के प्रावधानों के अधीन होगा। अपीलार्थी द्वारा माल का क्रय अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यवसायियों से नहीं किया गया है अतः आई.टी.सी. का क्लेम लिये जाने के लिये पात्र नहीं है। चूंकि इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं अपीलार्थी के मामले में पूर्ण विवेचना के साथ यह निर्णीत कर लिया गया है कि अपंजीकृत व्यवसायियों से की गई खरीद पर आई.टी.सी. का क्लेम लिये जाने के पात्र नहीं होते हैं क्योंकि उनके द्वारा कोई कर नहीं चुकाया गया होता है।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि :-

9. On perusal of sec. 2(17), it is clear that one may be eligible for input tax by a registered dealer in the course of business on the purchase of any goods made from a registered dealer, which in my view should mean that input tax credit can be allowed only in a case

लगातार.....3





08/03/17

where the goods are purchased from a registered dealer and admittedly in the instant case the sellers of the goods from whom the assessee has purchased the goods are cultivators/agriculturists and are not registered dealers or assessed to tax. Sec. 18 of the Act, starts with "input tax credit shall be allowed to registered dealers" and in the instant case only the assessee is a registered dealer and the persons from whom the assessee made purchases being not registered dealers, in my view, the claim was not admissible. Sec. 18(2) prescribes that input tax credit shall be allowed only after verification of the deposit of tax payable by the selling dealer, and in the instant case admittedly the assessee has paid tax and no tax has been paid by the seller and thus, in my view input tax credit was not to be allowed as claimed by the learned counsel for the petitioner, and rightly been disallowed.

7. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


(कं. एल.जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य